



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया।

सेवा नगर, न्यू करीमगंज, गया (फोन नं०-0631-2950310) ई-मेल - gaya dfo@gmail.com

पत्रांक 5682

प्रेषक,

शशिकान्त कुमार, भा० व० से०
वन प्रमंडल, पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल, गया।

सेवा में,

सहायक वन संरक्षक,
कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
बिहार, पटना।

गया/823001, दिनांक.....19.9.24

विषय:-

श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या-2, प्लॉट संख्या-647, थाना नं०-703, थाना-गुरुआ में गया-शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel pvt ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 0.015 हे० वन भूमि के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-FC/13/ 2022-648 दिनांक 09.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित रिटेल आउटलेट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में की गई उल्लंघन से संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेरघाटी द्वारा भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधन अधिनियम) 1989 की धारा-33 1 (C) एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत वन वाद संख्या-105/2024 दर्ज किया गया है जिसका विस्तृत जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Sh.

19/9/24

वन प्रमंडल पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल, गया।

Sh.

गया वन प्रमण्डल, गया।

अपराध प्रतिवेदन संख्या:- 13P तिथि:- 19.03.2024

शेरघाटी..... राजस्व केन्द्र

श्री

अपराध का स्वरूप

पता चलने की तिथि और समय:-29.06.2024.... करीब 78.30 बजे पूर्वाह्न।

घटना स्थल :- ग्राम-समदा (शेरघाटी-चैरकी रोड)।

किसने पता लगाया:- श्री अनिल कुमार, वनरक्षी।

वन अधिनियम् और भारतीय दण्ड संहिता का निर्देश

भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1989 की धारा (33, 41 एवं 42)

[illegible]

तथ्या की पूरी रिपोर्ट पन्ने के दूसरी ओर है।

9555

507104

18 अनुसूचि-फारम संख्या -21

विस्तारपूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट

[यदि घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर ली जाय]

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

गया वन प्रमण्डल, गया।

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय:- माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शेरघाटी के न्यायालय में दर्ज कराए गये वन वाद संख्या 105/2024 से संबंधित अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- वनरक्षी द्वारा समर्पित जूर्म प्रतिवेदन संख्या-951 दिनांक-29.06.2024।

महाराज,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक-29.06.2024 को प्रातः-7.30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं अपने अधिनस्थ वनरक्षियों के साथ गरसी के कम में समदा पहुँचे तो देखा कि शेरघाटी चेरकी रोड मौजा-समदा के किनारे बाँये तरफ देखा कि पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। जिसका खाता नं०-02 प्लॉट संख्या-647 शाना नं०-703 है। घटना स्थल पर जाँच पड़ताल किये तो पाया गया कि अपराध रिपोर्ट के कॉलम संख्या तीन में दर्ज अभियुक्त के द्वारा अधिनस्थ पथ के किनारे अवैध रूप से मिट्टी भराई कर अवैध अतिक्रमण का कार्य किया गया है। जिसका लम्बाई 10मीटर चौड़ाई 7.5मीटर एवं गहराई 01 मीटर है। ज्ञातव्य हो कि शेरघाटी चेरकी रोड सुरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित है।

अनुसंधान:-

इस संबंध में घटना की जाँच मेरे द्वारा दिनांक-29.06.2024 को स्वयं एवं जूर्म प्रतिवेदन में नामित गवाह के साथ घटना स्थल पर जाकर किया। जाँचोपरान्त घटना स्थल पर पाया गया कि पार पृष्ठ पर अभियुक्तों के कॉलम में अंकित अभियुक्त के द्वारा मौजा-समदा सड़क के किनारे बाँये तरफ जो सुरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित है उक्त स्थल पर पेट्रोल पम्प का निर्माण हेतु मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। घटना स्थल का मुआयना करने पर पाया कि मौजा-समदा शेरघाटी चेरकी रोड के किनारे सुरक्षित वन भूमि के रूप में सुरक्षित है जिसका अधिसूचना संख्या-S.O.400 Date-31.12.96 है। नामित अभियुक्त के द्वारा 10मीटर लंबाई एवं 7.5 मीटर चौड़ाई कुल-75 वर्गमीटर $\times 2=150$ वर्गमीटर अर्थात् 0.015 हे० वन भूमि में पेट्रोल पम्प का निर्माण हेतु मिट्टी भराई का कार्य किया गया है।

इस संबंध में संबंधित वनरक्षी श्री अनिल कुमार, के माध्यम से पार पृष्ठ पर अंकित अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा जाँच हेतु बुलाया गया परन्तु अभियुक्त के द्वारा स्वयं एवं किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

अभियुक्त द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के अधिसूचित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 02 एवं भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन अधिनियम-1989) की धारा 33-1(C) का गैर उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय, दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध है। श्री मान से अनुरोध है कि अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कि जाय।

अतः श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

आपका विश्वासू

अनुलग्नक:-

- 1 इस कार्यालय का पत्रांक-06 दिनांक-29.06.2024 का छायाप्रति।
- 2 वनरक्षी द्वारा समर्पित जूर्म प्रतिवेदन सं०-951 दिनांक-29.06.2024।
- 3 घटना स्थल का मागचित्र।

वनभूमि बर्बादी:- 0.015 हे०

राजस्व औसतन:- 25000 रुपये

क्षतिपूर्ति दो गुणा:- 50000 रुपये

कुल:- 75000 रुपये

(पचहत्तर हजार रुपये मात्र)

29/06/2024
वन परिसर प्रदाधिकारी
वन परिसर मुख्यालय।

Forest 105 km

कार्यालय:-वन परिसर पदाधिकारी वन परिसर, बैलाल।

पत्रांक :- 06

शेरघाटी-824211 / दिनांक :- 29/06/2024

सेवा में

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, शेरघाटी।

द्वारा:-उचित माध्यम

प्रसंग:- वनरक्षी का अपराध रिपोर्ट संख्या-951 दिनांक-29.06.2024।

विषय:-शेरघाटी-चेरकी गया पथ (मौजा-समदा) के किनारे बाये तरफ में पेट्रोल पम्प के निर्माण के क्रम में अवैध अतिक्रमण से संबंधित वन वाद दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन अपराध रिपोर्ट के संबंध में सादर सूचित करना है कि दिनांक-29.06.2024 को प्रातः 07:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं, अपने अधिनस्थ वनरक्षियों के साथ गश्ती के क्रम में समदा पहुँचे तो देखा कि शेरघाटी चेरकी गया पथ (मौजा-समदा) के किनारे बाये तरफ में पेट्रोल पम्प हेतु मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। जिसका खाता नं०-02, प्लॉट नं०-647, थाना संख्या-703 है। घटना स्थल पर जाँच पड़ताल किये तो पाया गया कि अपराध रिपोर्ट के कॉलम संख्या तीन में दर्ज अभियुक्त के द्वारा अधिसूचित पथ के किनारे अवैध रूप से मिट्टी भराई कर अवैध अतिक्रमण का कार्य किया गया है। जिसका लंबाई-10 मिटर एवं चौड़ाई-7.5 मीटर है। ज्ञातव्य हो कि शेरघाटी चेरकी गया पथ मुख्य पथ सुरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित है।

अभियुक्त कि द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के सुरक्षित वनभूमि में गैर वानिकी कार्य करना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 02 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) की धारा 33 के तहत संज्ञेय एवं गैरजमानतीय अपराध है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अपराध रिपोर्ट संख्या 951 दिनांक-29.06.2024 की मूल प्रति को स्वीकार करने की कृपा की जाय। उक्त घटना से संबंधित अभियोजन प्रतिवेदन के श के जाँचोपरान्त उचित माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक यथोक्त :-

(1) वनरक्षी का जूर्म प्रतिवेदन संख्या।

आपका विश्वासी

मुख्य
वन परिसर पदाधिकारी
मुख्य न्यायालय, शेरघाटी

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी वन परिसर, बैलाल।

प्रतिलिपि :- वनरक्षी के-06 दिनांक:- 29.06.2024
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वन परिसर, बैलाल।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वन परिसर, बैलाल।

કામીયાબી - ૧૧૧ ની સીમા પરાધિકારી, ૧૦ મહિના, ૧૨

સાપેક્ષ: - ૨૬૭ લિંગાન - ૩૦.૦૦

૫ મહિના: - ૧૦ મહિના પરાધિકારી, ૧૨૫ મહિના મહિના
પુનરાવર્તન પરાધિકારી કોઈ વાંચી હોય

અમલદાર

જુલિયન કોડ
૧૦-૦૬-૨૦

૧૦ મહિના પરાધિકારી

૧૦ મહિના, ૧૨૫ મહિના

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार

951

29/06/24

नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।

जुर्म नं०:- 951

तारीख 29/06/2024

- घटना स्थल - समदा (बौरघाटी - चैरकी रोड़)
- पकड़ने का समय और तारीख :- प्रातः 7-30 बजे पूर्वदिन दिनांक
- नाम अपराधी और उसके पिता का नाम :- ① अजित कुमार, पिता - किशोरी भादव
और पता :- ग्राम - मलुआ, थाना - बौधगंगा, जिला - गंगा
- जप्ती माल, अगर कोई :- X
- जप्ती माल का जिम्मेवार :- X
- नाम गवाह और उसके पिता का नाम :- ① श्री दीपक पाण्डेय वनरक्षी
② सुश्री आरती कुमारी वनरक्षी
और पता :-
- तफसील और बयान जुर्म :- सेवा में
वन परिसर पदाधिकारी
वन परिसर गुरुआ

महोदय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक
को प्रातः 7-30 बजे पूर्वदिन में वरीय पदाधिकारी
एवं सहयोगी वनरक्षी के साथ गस्ती के क्रम
में जब समदा ग्राम से पड़ने से लगनेवाली

ने देखा की शेरधारी - चैकी जमा पच (मौजा - रतम)
 किनारे वाले लड़क में पेट्रोल पम्प का निर्माण हेतु
 शराई का कार्य किया गया है। जिलका शवादा सं - 2
 प्लॉट सं - 642 भागा सं 703 तथा मौजा समदा है,
 धरना स्थल पर जांच पड़ताल करने गो पार्क की
 अपराध प्रविष्टन के क्रम सं. 03 में दर्ज अभिक्रम शप
 मुरल्लि वन भूमि में बिना अनुमति प्रमाण पत्र
 के मुरल्लि वन भूमि लड़क के किनारे अवैध रूप
 से मिट्टी शराई कर अभिक्रमण का कार्य किया
 गया है। जिलके प्रवेश पथ की लम्बाई 10m एवं
 चौड़ाई 7.5m है तथा निकल पथ की लम्बाई 10m
 एवं चौड़ाई 7.5m है जिलका कुल रकबा - 150 वर्ग
 मीटर अर्थात् 0.015 हे० है

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि
 वणिज अभिक्रम के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने
 की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी
 अनिल कुमार वनरानी
 उपवन परिसर गुरना

ਮੰਗ - ੭੩੬੧

2119 ੭੩੬੧ - 703

੭੩੬੧ - ੭੩੬੧

੭੩੬੧ - ੭੩੬੧

ਮੰਗ - ੭੩੬੧

੭੩੬੧ - ੭੩੬੧

੭੩੬੧ - ੭੩੬੧ - ੭੩੬੧ - ੭੩੬੧

ਸਮਝੀ

੭੩੬੧ - ੭੩੬੧

[illegible]

三三三三三

अभियुक्त का ब्याज

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।

गया वन प्रमण्डल, गया।

अपराध प्रतिवेदन संख्या:-

तिथि:-

.....शेरघाटी.....[राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्या:-

तिथि:-

.....उप..... वन संरक्षक..... गया..... वन प्रमण्डल
की जप्ति रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

.....प्रभारी पदाधिकारी।

.....शेरघाटी.....[राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्या:-

तिथि:-

.....मजिस्ट्रेट.....को
आदेशिका तामिल करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजे भेजी जाती है-

.....प्रभारी वन संरक्षक

.....गया वन प्रमण्डल गया।

नोटिस

कार्यालय :- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, शेरघाटी वन प्रक्षेत्र, शेरघाटी ।

अपोजिट, ब्लॉक ऑफिस शेरघाटी, गया मोबाईल नं०-9006492947, ई-मेल:- sherghatirof@gmail.com

पत्रांक:- २४३

दिनांक:- 12.07.2024

प्रेषित,

(1) अजित कुमार पिता-किशोरी यादव, ग्राम-भलुआ थाना-बोधगया, जिला-गया।

इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि वनपाल गुरुआ द्वारा आपके विरुद्ध शेरघाटी चेरकी रोड सुरक्षित वन भूमि में अवैध रूप से पेट्रोल पम्प निर्माण के काम में वन भूमि को अतिक्रमण कर मिट्टी खुदाई करने संबंधित अपराध प्रतिवेदन दिनांक-12/07/2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-18/07/2024 को वनपाल द्वारा समर्पित अपराध प्रतिवेदन का जाँच कार्यालय अवधि में वन प्रक्षेत्र कार्यालय शेरघाटी में किया जायेगा।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/07/24 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपने बचाव में पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर यह समक्षा जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा एक पक्षियों निर्णय लेते हुए वनपाल द्वारा समर्पित अपराध प्रतिवेदन को आपके विरुद्ध उचित कानूनी कारवाई हेतु सक्षम न्यायालय को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

सुलदीप मोहंता
12-07-2024
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
वन प्रक्षेत्र इमामगंज।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया।

महोदय,

वनपाल गुरुआ द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वन प्रक्षेत्र शेरघाटी के कार्यालय से प्राप्त विस्तृत अपराध प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक -18.07.2024 जाँच की तिथि निर्धारित करते हुए अभियुक्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक:-283 दिनांक:-12.07.2024 के माध्यम से नोटीस भेजा गया।

परन्तु निर्धारित तिथि दिनांक:-18.07.2024 को अभियुक्त उपस्थित नहीं हुये हैं। इससे स्पष्ट है कि ये कानून को नहीं मानते हैं और ये अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। स्थल की जाँच की गयी है, घटना सत्य पाया गया है।

नामला इनके विरुद्ध अवैध रूप से वनभूमि अतिक्रमण कर खुदाई करने संबंधित है। अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से शेरघाटी घेरेकी रोड में वन भूमि अतिक्रमण कर पेट्रोल पम्प निर्माण के काम में मिट्टी खुदाई का अवैध कार्य किया गया है। अभियुक्त द्वारा बिना अनापति प्रमाण पत्र के अधिस्तुचित वन भूमि में गैर शान्ति कार्य करना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 02 एवं भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन अधिनियम-1989) की धारा 33-1(C) का घोर उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय, दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध है।

अतः अनुरोध है कि जुर्म प्रतिवेदन संख्या:-951 दिनांक:-29.06.2024 में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में अग्रसारित करने की कृपा की जा सकती है।

आपका विश्वासी

अनुपम चौधरी
18-07-2024
वन के क्षेत्र पदाधिकारी,
वन प्रक्षेत्र, इमामगंज।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।

.....गया वन प्रमण्डल, गया।

अपराध प्रतिवेदन संख्या:- 13P

तिथि:- 10.07.2024

.....शेरघाटी.....[राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्या:- 402

तिथि:- 19.07.2024

.....उप..... वन संरक्षक.....गया..... वन प्रमण्डल
की जप्ति रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।कुलदीप चौहान
19-07-2024

.....प्रभारी पदाधिकारी।

.....शेरघाटी.....[राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक संख्या:-

तिथि:-

.....मजिस्ट्रेट.....को
आदेशिका तामिल करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेज भेजी जाती है:-

.....प्रभारी वन संरक्षक

.....गया वन प्रमण्डल गया।